RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ९] गुरुवार, मार्च २३, २०१७/चैत्र २, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २३ मार्च २०१७ ई.को पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. X OF 2017.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932,
IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १० सन् २०१७।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९३२ का ९।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में एतदद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र,** में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

सन् १९३२ का ९ की धारा ५९ क-१ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५९ क-१ में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९३२ का ९।

सन् १९३२ का ९ की धारा ६९क का प्रतिस्थापन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६९क के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

धारा ६०, ६१, ६२ या ६३ के अनुपालन में विलम्ब के लिये प्रभार।

" **६९ क.—** किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म के संबंध में धारा ६०, ६१, ६२ या, यथास्थिति, ६३ के अधीन यदि कोई विवरण, सूचना या नोटीस उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी या दी नहीं गई है तो रजिस्ट्रार, प्रति वर्ष दो हजार रुपयों की दर पर या उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के दिनांक के बीच के संबंध में उसके भाग और अदायगी करने के दिनांक, उसके समान भेजने या देने में विलम्ब के लिये प्रभारों की अदायगी पर, फर्म से संबंधित अभिलेखों में यथोचित संशोधन कर सकेगा। " ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (सन् १९३२ का ९), भागीदारी से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए, अधिनियमित किया गया है। भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, १९८४ (सन् १९८४ का महा. २९) द्वारा, महाराष्ट्र राज्य में उसकी यथाप्रयुक्ति में, उक्त अधिनियम में, शास्ति के भुगतान पर विलंबित रजिस्ट्रीकरण को उपबंध करनेवाली धारा ५९ क-१ और धारा ६०, ६१, ६२ या ६३ के उल्लंघन के लिये शास्ति का उपबंध करनेवाली धारा ६९ क, निविष्ट की गई हैं।

२. उक्त धारा ५९ क-१, महाराष्ट्र राज्य में उसकी यथा प्रयुक्ति में यह उपबंध करती हैं कि, यदि, किसी फर्म के संबंध में, विवरण, रजिस्ट्रार को, धारा ५८ की उप-धारा (१ क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भेजी या सुपुर्द नहीं की गई हैं, तब, विलम्ब के प्रति वर्ष या उसके भाग पर एक सौ रुपये की शास्ति, रजिस्ट्रार को, भुगतान पर रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी। उस समय पर, भागीदारीता फर्म के रजिस्ट्रिकरण की फीस केवल पचास रुपये थी। अब, भागीदारी फर्म के रजिस्ट्रीकरण की फीस एक हजार पाँच सौ रुपये हैं। उक्त उप-धारा ५९ क-१ के अधिनियमिति को तीस वर्षों से अधिक समय बीत चुका हैं। भागीदारीता फर्म के रजिस्ट्रीकरण में बढोतरी और उक्त धारा ५९ क-१ के अधिनियमिति से तीस वर्षों से अधिक कालावधि बीतने को ध्यान में रखते हुये, सरकार उक्त धारा ५९ क-१ के अधीन, विलम्ब के प्रति वर्ष या उसके भाग पर एक हजार रुपये की शास्ति, उसे यथोचित रित्या संशोधन द्वारा, बढाना इष्टकर समझती हैं।

३. उक्त धारा ६९क, महाराष्ट्र राज्य में उसकी यथा प्रयुक्ति में, उपबंध करती हैं कि, यदि, किन्हीं रजिस्ट्रीकृत फर्म के संबंध में, धारा ६०, ६१, ६२ या, यथास्थिति, ६३ के अधीन कोई विवरण, सूचना, नोटीस या उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन, रजिस्ट्रार को भेजी या दी नहीं जाती हैं, तब, रजिस्ट्रार, फर्म के भागीदारों को सूचना देने के पश्चात् और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, फर्म से संबंधित अभिलेखों में यथोचित संशोधन करने से इन्कार कर सकेगा, जब तक कि फर्म के भागीदार, धारा ६०, ६१, ६२ या, यथास्थिति, ६३ में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के दिनांक तथा फर्म से संबंधित प्रविष्टियों में संशोधन करने के दिनांक के बीच के अवधि के संबंध में, रजिस्ट्रार जैसा कि अवधारित करे, ऐसी, प्रति दिन १० रुपये से अनधिक शास्ति का भुगतान न करें।

शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ सन् १९८४ में उक्त धारा ६९क के अधिनियमिति से तीस वर्षों से अधिक अवधि बीतने के कारण, उक्त धारा के कार्यान्वयन में सामना करनेवाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये, महाराष्ट्र सरकार, उक्त धारा ६९क की प्रतिस्थापना द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, प्रति दिन दस रुपये से अनधिक विद्यमान शास्ति के बदले में, उक्त धारा ६९क के अधीन, धारा ६०, ६१, ६२ या ६३ के अनुसरण में विलम्ब के लिये, प्रति वर्ष या उसके भाग पर दो हजार रुपये के प्रभार के भुगतान के लिये, उपबंध करना इष्टकर समझती हैं।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय, उपरोल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित २० मार्च, २०१७।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयेक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड १ (२).—इस खण्ड के अधीन, यह अधिनियम, ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २३ मार्च, २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.